जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक प.01( )जविप्रा / स.आ. / सि.मै. / 2019 / डी– 06

दिनांक : 17/01/2020

सार्वजनिक सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 (शहरी) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के आठ हजार पट्टेधारियों को "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Beneficiary led Individual House Construction and enhancement)" के लिए अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 09.07.2019 के अनुसार प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के तहत स्वंय की भूमि पर नवीन आवास निर्माण अथवा अभिवृद्धि हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 1,50,000/– रू.तक का अनुदान देय है। अनुदान प्राप्ति हेतु एक विस्तृत सार्वजनिक सूचना शर्तो के विवरण सहित दिनांक 19.11.2019 एवं दिनांक 19.12.2019 दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। उक्त योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 16.01.2020 निर्धारित थी जिसको एक माह अर्थात दिनांक 15.02.20.20 तक बढायी जाती है। शेष शर्ते पूर्व में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.11.2019 एवं दिनांक 19.12.2019 के अनुसार यथावत लागू रहेगी।

अर्चना सिंह,
सचिव

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, द्वितीय, तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (वित्त / अभियांत्रिकी–प्रथम / द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
2. अति. आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / पश्चिम / भूमि / एल.पी.सी / पीआरएन / पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
3. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय / सिस्टम्स मैनेजमेंट), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता–विद्युत, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 पीआरएन–उत्तर,दक्षिण (प्रथम,द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता जोन–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 पीआरएन–उत्तर,दक्षिण (प्रथम,द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त शिवरों की सार्वजनिक सूचना का दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (समस्त संस्करण) में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित की गयी सार्वजनिक सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।
8. सिस्टम एनालिस्ट को भेजकर लेख है कि आवेदन अवधि हेतु दिनांक 16.01.2020 से 15.02.2020 तक बढायी जाती है। अतः आवेदन प्रकिया को ऑनलाईन यथावत रखने का श्रम करवें।
9. उपायुक्त प्रशासन को भेजकर लेख है कि कृपया 16.01..2020 से 15.02.2020 तक पूर्व में जारी दो ऑपरेटरों की अवधि बढायी जावें।
10. उपायुक्त स्टोर, जविप्रा, जयपुर को कैम्प हेतु आवश्यक कार्यवाही की व्यवस्था हेतु प्रेषित है।
11. प्रभारी अधिकरी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।
12. केयर टेकर, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री सुशील पारीक कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।
14. दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक प.01( )जविप्रा / स.आ. / सि.मै. / 2019 / डी– 184 दिनांक : 17/12/2019

सार्वजनिक सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 (शहरी) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के आठ हजार पट्टेधारियों को "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Beneficiary led Individual House Construction and enhancement)" के लिए अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 09.07.2019 के अनुसार प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के तहत स्वंय की भूमि पर नवीन आवास निर्माण अथवा अभिवृद्वि हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 1,50,000/– रू.तक का अनुदान देय है। अनुदान प्राप्ति हेतु एक विस्तृत सार्वजनिक सूचना शर्तो के विवरण सहित **दिनांक 19.11.2019 को दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित की गई थी** उक्त योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 17.12.2019 निर्धारित थी जिसको एक माह अर्थात **दिनांक 16.01.2020 तक बढायी** जाती है शेष शर्ते पूर्व में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.11.2019 के अनुसार यथावत लागू रहेगी।

1. लाभार्थी जविप्रा की वैबसाइड www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर **दिनांक 18.11.2019 से 16.01.2020 तक** ऑनलाईन आवेदन कर सकते है अथवा लाभार्थी आवेदन पत्र भरवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में भी एक विशेष काउन्टर की स्थापना की गई है। जिस पर लाभार्थी अवेदन फार्म साफ्ट कॉपी में गुरूवार दिनांक 18.11.2019 से दिनांक 16.01.2020 तक प्रातः 10 बजे से सॉयकाल 5:00 बजे तक वांछित सूचना उक्त केन्द्र पर साथ लाकर निशुल्क भर सकते है।
2. आवेदको द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के बाद एक प्रिन्ट लेकर प्रति पर आवेदक की फोटो लगाकर एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र बी.एल.सी. प्रकोष्ठ, कमरा नम्बर – CBBV बेसमेंट, नागरिक सेवा केन्द्र, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, राम किशोर भवन, जेडीए सर्किल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर 302004 पते पर डाक से अथवा उक्त प्रति प्रातः10 बजे से सांयकाल 05 बजे तक जविप्रा परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्रपर भी जमा करवा सकते है।

निम्नलिखित योजनाओं मे केवल EWS भूखण्डों के आवंटी ही आवेदन कर सकते है:–

वैशाली नगर ई–ब्लॉक, वैशाली नगर एफ ब्लॉक, विधानसभा सचिवालय, समूह आवास योजना धावास (चैन), गिरधारीपुरा ए ब्लॉक, गिरधारीपुरा डी–ब्लॉक, गिरधारीपुरा सी–ब्लॉक, गोविन्दपुरा कालावाड रोड, चित्रकूट योजना, गोविन्दपुरा, महल योजना, महल विस्तार, निलय कुंज, खुसर योजना, लखेसरा, लक्ष्य विहार, शौर्य नगर, संकल्प नगर, आनन्द विहार, दीनदयाल नगर, रघुनाथ विहार, मुडिया रामसर, आनन्द लोक, आनन्द लोक द्वितीय, स्वपन लोक, कल्पना नगर, पीताम्बुरा, सूर्य नगर ए–ब्लॉक, बक्सावाला, हरित विहार, पार्थ नगर

माचेडा कच्ची बस्ती पुर्नवास योजना I व II

अर्चना सिंह,
सचिव

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रषित है।

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, द्वितीय, तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
2. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी/पीआरएन/पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
3. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम्स मैनेजमेंट), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता–विद्युत, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 पीआरएन–उत्तर,दक्षिण (प्रथम,द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता जोन–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 पीआरएन–उत्तर,दक्षिण (प्रथम,द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त शिवरों की सार्वजनिक सूचना का दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (समस्त संस्करण) में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित की गयी सार्वजनिक सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।
8. सिस्टम एनालिस्ट को भेजकर लेख है कि आवेदन अवधि हेतु दिनांक 18.11.2019 से 16.01.2020 तक नागरिक सेवा केन्द्र पर दो कम्प्यूटर सेट स्थापित करने का श्रम करें।
9. उपायुक्त प्रशासन को भेजकर लेख है कि कृपया 18.11.2019 से 17.12.2019 तक पूर्व में जारी दो ऑपरेटरों की अवधि को बढाकर 16.01.2020 तक की जावें।
10. उपायुक्त स्टोर, जविप्रा, जयपुर को कैम्प हेतु आवाश्यक कार्यवाही की व्यवस्था हेतु प्रेषित है।
11. प्रभारी अधिकरी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।
12. केयर टेकर, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री सुशील पारीक कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।
14. दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक प.3(22)जविप्रा/आरएमएण्डसी/एएचपी/2019/डी– 170 दिनांक : 14/11/2019

सार्वजनिक सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना–2015 (शहरी) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के पट्टेधारियों को ''लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Beneficiary led Individual House Construction and enhencenent)'' के लिए अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 09.07.2019 के अनुसार प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के तहत स्वंय की भूमि पर नवीन आवास निर्माण अथवा अभिवृद्धि हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 1,50,000/– तक का अनुदान देय है। अनुदान प्राप्ति हेतु लाभार्थियों की पात्रता निम्न प्रकार है :–

(i) आवेदन की सालाना आय राशि रू. 3.00 लाख तक होनी चाहियें।

(ii) आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कही पर भी पक्का आवास ना हो।

(iii) भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।

(iv) आवेदक के स्वयं के नाम भूखण्ड/पट्टा के दस्तावेज होने चाहिए।

(v) यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है (विवाहित अथवा अविवाहित) तथा स्वयं के नाम भूखण्ड नही है तो वह माता–पिता या सास–ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है।

(vi) आवेदक विवाहित है तो स्वंय का आधार कार्ड व पति/पत्नी का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अविवाहित/विधवा है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का कोई भी पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

(vii) नवीन आवास निर्माण की स्थिति में 30 मीटर कॉरपेट एरिया का आवास निर्माण आवश्यक है, जिसमें दो कमरें, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर का समावेश अनिवार्य है।

(viii) यदि 30 मीटर कारपेट एरिया आवास निर्माण हेतु भूमि का क्षैत्रफल कम है तो आवेदक दो मंजिला आवास निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है, जिससे प्रथम तल व उपरी तल का कुल कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर हो सके।

(ix) यदि आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा अभिवृद्धि में कम से कम एक कमरे का निर्माण होना आवश्यक है।

(x) उक्त BLC गठक में अनुदान प्राप्त करने हेतु EWS आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होगें।

(xi) व्यक्तिगत आवासो की प्रगति का पता भू–चिन्हित geo-tagging छांया प्रति के माध्यम से लगाया जायेगा।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-2560585} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7113}:

ई-मेल : {girirajagrawal.jda@rajasthan.gov.in}

(xii) आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तर्गत समय–समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावेगा।

(xiii) भारत सरकार द्वारा पात्र आवेदकों को देय अनुदान राशि SUBSIDYस्वीकृत होन के पश्चात नये निर्माण होने की स्थिति में प्लीन्थ निर्माण पर 60,000/– रूपये प्रथम मंजिल की छत पश्चात रूपये 60,000/– एवं आवास पूर्ण निर्माण होने के पश्चात राशि रूपये 30,000/– सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर (हस्तांतरित) की जायेगी। निर्माण प्रगति भुवन एप से मॉनिटर की जावेगी।

(xiv) लाभार्थी जविप्रा की वैबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर दिनांक 18.11.2019 से 17.12.2019 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है अथवा लाभार्थी आवेदन पत्र भरवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में भी एक विशेष काउण्टर की स्थापना की गयी है। जिस पर लाभार्थी आवेदन फार्म साफ्ट कॉपी में गुरूवार दिनांक 18.11.2019 से दिनांक 17.12.2019 तक प्रातः 10 बजे से सॉयकाल 5:00 बजे तक वांछित सूचना उक्त केन्द्र पर साथ लाकर निशुल्क भरे जावेगें।

(XV) आवेदकों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के बाद एक प्रिन्ट लेकर प्रति पर आवेदक की फोटो लगाकर एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र बी.एल.सी. प्रकोष्ठ, कमरा नम्बर–CBBV बेसमेंट, नागरिक सेवा केन्द्र, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, राम किशोर व्यास भवन, जेडीए सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर 302004 पते पर डाक से अथवा उक्त प्रति प्रातः 10 बजे से सांयकाल 05 बजे तक जविप्रा परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र पर भी जमा करवा सकते है।

आवेदक आवेदन हेतु कैम्प में निम्न दस्तावेज साथ लावेः–

1. प्राधिकरण की येाजना में आवंटित भूखण्ड के समस्त मूल दस्तावेज साथ लावें।
2. आवेदक स्वयं, पति, पत्नी एवं आश्रित का आधार कार्ड साथ लावें।
3. आवेदक का वर्तमान फोटो एवं स्वयं के मोबाईल नम्बर का विवरण लावे।
4. ऐसा बैंक खाता जो कि आवेदक के आधार कार्ड से लिंक हो, की पास बुक।
5. मौजूदा रिहायशी पक्का इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में) की गणना
6. नया आवास निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित आवास का कॉरपेट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
7. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि एवं कॉरपेट क्षेत्रफल का विवरण साथ लावें (एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से)
8. आवेदक यदि बीपीएल है तो बीपीएल मूल कार्ड।

-Sd-
(अर्चना सिंह)
सचिव
जविप्राा, जयपुर

प्रपत्र-1

स्व घोषणा–पत्र

फोटो हेतु स्थान

मैं ....
.... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....
.... उम्र ....वर्ष, जाति, ...
.................., पता ....
.... घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जयपुर विकास प्राधिकरण में ....
....के आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी व आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त अपलोड किये गये दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही है एवं कोई भी अपलोडेड दस्तावेज कूट रचित नही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है एवं कांट छांट नही की गई है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी व आवेदन पत्र के साथ समस्त अपलोडेड दस्तावेज भविष्य में झुठे/असत्य पाये जाने पर मैं स्वंय जिम्मेदार रहूँगा/रहुँगी एवं मुझे इसके लिये विधि अनुसार दण्ड का सामना करना पडेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये है व जो कार्यवाही मेरे पक्ष में हुयी है। उन्हें जविप्रा पूर्ण रूप से वापिस लेने व निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

मै. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त आवेदन हेतु अपलोडेड दस्तावेजो के अनुसार वर्णित जविप्रा/निजी खातेदारी /गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम..................
....की योजना..............................
....के भूखण्ड संख्या........................का मैं आवंटी एवं कब्जाधारी हूँ या खातेदार से क्रय किये गये भूखण्ड का स्वामी हूँ। इस भूमि को राज्य सरकार /जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने के विरुध किसी भी स्तर के न्यायलय में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश वर्तमान मे प्रभावशील नही है एवं उक्त भूखण्ड संख्या ....
.... के संबंध मे स्वामित्व का किसी भी सक्षम न्यायलय व अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नही है। भविष्य मे यदि स्वामित्व संबंधी वाद उत्पन्न होगा तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वंय की होगी एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज झूठे पाये जाने पर ज.वि.प्रा. को नाम हस्तान्तरण कार्यवाही निरस्त करने का अधिकार होगा एवं की गयी कार्यवाही स्वतः निरस्त मानी जावेगी।एवं मेरे विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की संबंधित एवं लागू धाराओ के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

मौके पर उक्त भूखण्ड की स्थिति	☐ निर्माण	☐ रिक्त
मौके पर उक्त भूखण्ड का उपयोग	☐ आवासीय उपयोग	☐ गैर आवासीय उपयोग

☐ वसीयत के आधार पर किया गया उक्त नाम हस्तान्तरण मे प्रयुक्त वसीयत अन्तिम है एवं निर्विवांदित है या हकत्याग या, विरासत या वसीयत के आधार पर होने वाले नाम हस्तान्तरण मे सक्षम निकाय/अधिकारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

मैं शपथकर्ता ....ईश्वर को साक्षी करके शपथ व निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नही गई और नही तथ्य व रिकार्ड के विपरीत कोई बात कही गयी है। अतः ईश्वर सत्य बोलने में मेरी सहायता करें।

(हस्ताक्षर शपथ गृहिता/गृहिती)
नाम..
पता..
मोबाईल नं. ....

दिनांकः

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता/शपथग्रहिती सत्यापित करता /करती हूॅ कि उक्त शपथ पत्र में दर्ज सभी सूचना मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है । इसमे कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें ।

(हस्ताक्षर सत्यापनकर्त्ता)

नाम..

पता..

दिनांकः